कार्यालय : मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर

अधिकारिक वैबसाइट : https://ahd.uk.gov.in
☎ 05944–297579, ई–मेल : cvousn-ah@uk.gov.in, cvousn@gmail.com

पत्रांक : 1705/ जन.गोआश्रय अनु. समिति/2025-26 दिनांक : 08-09-2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जनपद अन्तर्गत निराश्रित, बृद्ध, बीमार, विकलांग, परित्यक्त गोवंश एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गोतस्करों से बचाये गये केस प्रापर्टी गोवंश को शरण दिये जाने हेतु निम्न गोसदन परिसर निर्माणाधीन है :–

कार्यदायी स्थानीय निकाय का नाम	गोसदन परिसर हेतु चिन्हाकित स्थान	निर्माणाधीन गोसदन परिसर की वर्तमान समय में अपेक्षित क्षमता *	कालान्तर में गोसदन परिसर की क्षमता विस्तार किये जाने पर अपेक्षित क्षमता
जिला पंचायत ऊधमसिहनगर	ग्राम हल्दीघेरा	**लगभग** 400	**लगभग** 1,000

*** रकबे की उपलब्धता के अनुरुप, 150 वर्ग फुट प्रतिगोवंश की दर से, गोशाला शरणालय की क्षमता में बृद्धि की जा सकती है।**

शासनादेश ईपत्र संख्या 36254 दिनांक 26 जून, 2023 एवं उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के 1847-53 दिनांक 11-08-2023 के अनुरुप,उक्त गोसदन परिसर का संचालन, पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन गठित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI : Animal Welfare Board of India) अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत गोकल्याण हेतु मान्यताप्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। तदक्रम में आवेदक संस्था द्वारा, अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक एवं तुलनात्मक चयन किया जाना है। इस क्रम में निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से इच्छुक आवेदक संस्थाओं द्वारा विज्ञप्ति जारी होने के 14 दिनों के भीतर, कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत, निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन स्वयं अथवा पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।	मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।	जिला अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

जिला अधिकारी महोदय द्वारा ऊधमसिंह नगर जनपद में गोशाला शरणालय की स्थापना हेतु आबंटित भूमि पर, गोशाला के संचालन के क्रम में, मान्यता प्रदत्त एवं अनुभवी गैरसरकारी पशु कल्याण संस्था के चयन हेतु के अभिरुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव :

1 आवेदक संस्था का नाम

2 आवेदक संस्था का पत्र व्यवहार पता

3 आवेदक संस्था का ई मेल पता

4 आवेदक संस्था हेतु संपर्क दूरभाष सं०

5 आवेदक संस्था का पंजीकरण एक्ट/ पंजीकरण संख्या/ पंजीकरण तिथि

6 आवेदक गैरसरकारी संस्था द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/ ट्रस्ट एक्ट/ किसी अन्य एक्ट अन्तर्गत पंजीकरण कार्यालय का पता

7 आवेदक संस्था का भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के तहत गोकल्याण हेतु पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण तिथि

8 आवेदक संस्था द्वारा विभिन्न स्थान/ स्थानों पर संचालित गोशाला/गोशालाओं अन्तर्गत शरणागत गोवंश की संख्या

	स्थान	शरणागत गोवंश की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

9 आवेदक संस्था द्वारा किसी विशेष गोशाला शरणालय के संचालन हेतु अभिरुचि की अभियुक्ति

क्र०	कार्यदायी स्थानीय निकाय का नाम	गोशाला शरणालय हेतु चिन्हाकित स्थान	निर्माणाधीन गोशाला परिसर की वर्तमान समय में अपेक्षित क्षमता	कालान्तर में गोशाला की क्षमता विस्तार किये जाने पर अधिकतम अपेक्षित क्षमता	अभिरुचि की अभिव्यक्ति कृपया अभिरुचि होने पर √ का निशान लगायें
1.	जिला पंचायत	हल्दीघेरा	लगभग 400	लगभग 1,000	अभिरुचि है/ नहीं है

Contd. on Pg-2

जनपद ऊधम सिंह नगर अन्तर्गत गोशाला शरणालयों की स्थापना हेतु चिन्हांकित भूमि पर गोशाला के संचालन हेतु चयन हेतु के अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव के क्रम में चैक लिस्ट :

क्र०	बिन्दु	आवेदक संस्था द्वारा जॉच (√ / ×)	जॉच अधि० द्वारा जॉच (√ / ×)
1.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के तहत गोसदन संचालक संस्था को मान्यता/ अनुदान निर्गत किये जाने के क्रम में निर्धारित आवेदन पत्र (Annex. A Pg. No.1 to Pg. No.10) के माध्यम से आवश्यक सूचनाऐं/ अभिलेख संकलित कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं ?		
2.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, शासनादेश संख्या 36254 दिनांक 04 जुलाई, 2023 तथा उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण अधिनियम में वर्णित शर्तो की स्वीकार्यता के क्रम में रु०100/- मात्र के गैर न्यायिक अनुबन्ध पत्र (Annex. B Pg. No.1 & Pg. No.2) पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है ?		
3.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, सोसाइटी रजिस्ट्रेसन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा किसी अन्य एक्ट के तहत गैरलाभ–हानि वाली गैरसरकारी संस्था के रुप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जा रही है ?		
4.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) अथवा पशुपालन मंत्रालय उत्तराखण्ड सरकार के अधीन संचालित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड द्वारा गोसदन/ गोशाला शरणालय के संचालन हेतु मान्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जा रही है ?		
5.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, उत्तराखण्ड शासन अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा नगर निकाय अथवा अन्य स्थानीय निकाय के अभिलेखों के अनुरुप गत वित्तीय वर्ष में शरणागत गोवंश की औसत संख्या की सूचना उपलब्ध करायी जा रही है ?		
6.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, निराश्रित परित्यक्त गोवंश को शरण दिये जाने हेतु आवेदक संस्था का उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा AWBI अन्तर्गत पंजीकरण उपरान्त अनुभव से सम्बन्धित अभिलेख की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जा रही है ?		

आवेदक संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर   जॉच अधिकारी के हस्ताक्षर

Annexure A

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।
फोन नं0 – 0135 – 2532 850 फैक्स : 0135 – 2532 811
वैब साइट : **httpahd.uk.gov.inpagesdisplay132-uttarakhand-animal-welfare-board**

<u>पशु कल्याण संस्था के रुप में मान्यता/राजकीय अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र</u>

1. **संस्था का परिचय**
   - नाम
   - **पता**
   - **पिन कोड**
   - दूरभाष/एस.टी.डी कोड
   - फैक्स
   - ई मेल

2. **संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :**

3. क्या संस्था भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ? यदि हॉ तो कोड संख्या ?

4. आपकी संस्था द्वारा पशु कल्याण का क्या कार्य किया जाता है ?
   ए. बी. सी./बचाव कार्य/पशु शरणालय/पशु चिकित्सा /

   प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य/विधिक न्यायालयी सहायता

5. **क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के तहत पंजीकृत है ?**

   यदि हॉ तो :-

   (क) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

   (ख) पंजीकरण कार्यालय

   (ग) पंजीकरण संख्या

   (घ) पंजीकरण तिथि

6. संस्था का स्थापना वर्ष/नियमावली की सत्यापित छायाप्रति/ पदाधिकारियों का विवरण एवं उनके दायित्व तथा कार्यक्षेत्र :

7. गत तीन वर्षो का आय व्यय लेखा :

8. क्या संस्था द्वारा राजकीय कोष से (भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या सांसद निधि या विधायक निधि या ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय) से पशु कल्याण कार्यो हेतु अनुदान प्राप्त किया गया ? यदि हाँ तो प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा विवरण भेज दिया गया है ?

प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत करे।

9. संस्था की संपत्ति / संसाधन

9.1 भूमि :

(क) कुल भूमि उपलब्धता :

(ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है ?

यदि हॉ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

(ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है ?

यदि हॉ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है ?

(घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी ? तदनुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।

- क्रय से अर्जित की गयी ?
- दान से अर्जित की गयी ?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी ?
- राजकीय भूमि ?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि ?

(ङ) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फैंसिंग करा ली गयी है ?

(च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

9.2 उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

पशु चिकित्सक : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

पैरा वैटनरी स्टाफ : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

श्रमिकवर्ग पैरावैट : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

- औषधालय :
- औषधि उपलब्धता सूची :
- क्या औषधि उपलब्धता सूची को मासिक रुप से पुनः नवीनीकृत किया जाता है ? :
- आइसोलेसन वार्ड/ आई. सी. यू. / बीमार पशु वार्ड :
- लिफ्टिंग वैन / एम्बुलेंस की उपलब्धता :
- अन्य सुविधायें :

9.3 पशुओं हेतु चारा/भोजन का श्रोत एवं भण्डारण सुविधा :

– पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा –
– सूखे चारे के श्रोत –
– परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
– गत वर्ष लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता
– चालू वर्ष में लगाये गये पेडों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
– परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल ? औसत उत्पादकता ?
– अन्य श्रोतों से उपलब्धता ?

– चाराचरी की उपलब्धता – संख्या –
– भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –
– अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –
– चैप कटर की उपलब्धता – संख्या –
– चारा घासों का फसल चक्र –

9.4 अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें :

– बिजली –
– बल्ब –
– ट्यूब लाइट –
– पंखे –
– ट्यूबवैल/बोरवैल/मोटराइज्ड पम्प –
– मोटराइज्ड चैपकटर –
– पेय जल श्रोत –

(कुआं /बोर वैल / हैंड पंप / प्राकृतिक श्रोत / नहर / नदी / पेय जल संयोजन)

– पेय जल संग्रहण की सुविधा :

ओवर हैड टैंक	– संख्या	क्षमता –
स्टोरेज टैंक (सीमेंट)	– संख्या	क्षमता –
स्टोरेज टैंक (प्लास्किंट)	– संख्या	क्षमता –
पानी पीने की नांद	– संख्या	

– नाली की व्यवस्था
– मूत्र संग्रह की व्यवस्था
– गोबर संग्रह की व्यवस्था
– चारा पिट्स की व्यवस्था
– स्वच्छता एवं सफाई की दशा :
– भोजन पकाने/ तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

9.5 कार्यालय अभिलेखों का विवरण :

– कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :
– कार्यालय फाइलों के शीर्षक :
– अन्य अभिलेख :

10. वर्तमान में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या ?
आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र 1 में समस्त सूचनाऐं उल्लिखित करें।

रोगी पशु संख्या ?

निराश्रित अपंग पशु संख्या ?

निराश्रित अनुत्पादक / बृद्ध पशु संख्या ?

निराश्रित उत्पादक पशु संख्या ?

11. दुधारु पशुओं में ऑक्सीटोसिन एवं अन्य दवाओं के प्रयोग का विवरण :

12. क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

13. क्या आपकी संस्था में वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

14. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

15. क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

16. क्या आपकी संस्था मे गौ मूत्र से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

17. क्या आपकी संस्था में पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

18. गत वर्षो में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
समाचार पत्रों की पेपर कटिंग्स,/ फोटो ग्राफ्स / वी. सी. डी. संलग्न कर प्रस्तुत करें।

19. संस्था में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्न–1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

20. संस्था में कर्मचारियों का विवरण संलग्न–2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

21. संस्था के अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संलग्न–3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

22. स्पष्ट करें कि वांछित अनुदान धनराशि सुदृढ़ीकरण हेतु वांछित है अथवा नव–निर्माण हेतु।

मैं/हम ने गौ–सदन स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिये आर्थिक अनुदान धनराशि हेतु, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं तत्सम्बन्धित शासनादेशों (शासनादेश संख्या 759/XV-1/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या 807/XV-1/11/1(3)08, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या 1063/XV-1/16/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2016) में उल्लिखित शर्तें एवं अनुमन्यतायें भली–भाँति पढ़ ली हैं। हमारी संस्था को सभी शर्तें स्वीकार हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक : आवेदन प्रपत्र–1 से प्रपत्र–3 सलग्न कर प्रेषित करें।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–1

योजना का नाम :– गौ सदन/पशु शरणालय

1. संस्थान का नाम :

2. वर्ष :

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं0	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
कुल शरणागत पशु						
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)		.... वर्ग फुट (गो पशुओं हेतु) .... वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)				

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–2

योजना का नामः– गौ सदन/पशु शरणालय के रख–रखाव/उपचार हेतु उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

भाग–1 (गत वर्ष..................................)

1. **संस्था का नाम :–**
2. संस्था का पता :–
3. वर्ष

क्रम सं0	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन भुगतान	टिप्पणी

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

गौ–सदन/पशु शरणालय के स्थान हेतु प्रपत्र के साथ अपेक्षित अभिलेखों की सूची :–

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं गौ सदन के निर्माण का औचित्य
3. आवेदन पत्र के बिन्दु–5 के अनुरुप पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा लीज अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत गौ–सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति)।
10. गौ–सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु धनराषि का मदवार आबंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)
12. संस्था के गत वर्श के आय–व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :–
    1. आय–व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
    2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
    3. प्राप्ति भुगतान लेखा
    4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. गौ–सदन को भली–भाँति चलाने तथा पशुओं के रख–रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
16. औषधि/उपकरण क्रय हेतु रेट कोटेशन की छायाप्रति।
17. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
18. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को षरण दिये जाने के बावत सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
19. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के अभिलेख के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र–1
20. वर्तमान समय में आपकी संस्था में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र–2

अपील :–

आवेदक संस्थाओं से निवेदन है कि अपने 'आवेदन प्रस्ताव' के साथ समस्त अभिलेख संलग्न करें, जिससे प्रस्तावों पर शीध्रतिंशीध्र निर्णय हेतु सुविधा हो सके।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–3

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता लिये जाने के क्रम में आवेदक संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

आवेदक संस्था का नाम :

आवेदक संस्था का पता :

आज दिनांक .... स्थान .... पर हमारी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

1. हमारी संस्था द्वारा अलाभकर गोवंश (बृद्ध/ बीमार /विकलांग/ बांझ/ अनुत्पादक निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश) को शरण दिये जाने का पवित्र कार्य किया जायेगा।

2. हमारी संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों/दान अथवा जनसहयोग से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु कृत संकल्प एवं समर्थ है।

3. हमारी संस्था पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता लिये जाने हेतु सहमत है।

4. हमारी संस्था उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त आंशिक सहायता/भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित किये जाने हेतु आकांक्षी है।

5. हमारी संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख भरण पोषण करने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

6. हमारी संस्था, गोहत्या के निषेध तथा गोतस्करी के निवारण हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

7. हमारी संस्था द्वारा शरणागत गोवंश की बीमारी की दशा में राजकीय पशुचिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में शव परीक्षण/प्रमाणन कराये जाने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

शासनादेश संख्या : 36254 दिनांक 04-07-2024 एवं गोसदनों के संचालन हेतु आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या : 909 दिनांक 02-06-2025 के अनुरुप, राजकीय अनुदान से पूर्व अनुबन्ध शपथपत्र :

1– अलाभकर गोवंश (बृद्ध, बीमार, विकलांग, अनुत्पादक, निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गो तस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रोपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, आवेदक संस्था – .... उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम–2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/ संशोधन आदेशों तथा तद्क्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों तथा जनपदीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति/ विकासखण्ड स्तरीय गो आश्रय अनुश्रवण समित द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।

2– आवेदक संस्था – .... गोसदन की निर्धारित क्षमतानुसार गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/ स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।

3– आवेदक संस्था – .... पंजीकृत एवं राजकीय मान्यता प्रदत्त गैर–सरकारी संस्था है तथा इस संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से राजकीय मान्यता हेतु आवेदन किया गया है।

4– आवेदक संस्था – .... निम्न प्राविधान के अनुरुप पंजीकृत गैरसरकारी संस्था है (जो भी लागू हो उस बिन्दु पर सही ✓ का निशान लगायें) :–

(क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है
अथवा

(ख) अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धमार्थ संस्था है
अथवा

(ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड तहत पंजीकृत संस्था है
अथवा

(घ) किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है

5– आवेदक संस्था – .... समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख–भरण पोषण हेतु–राजकीय आंशिक सहायता भरण–पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययो को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

6– आवेदक संस्था – ....गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने स्वीकार करने हेतु सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

7– आवेदक संस्था – .... भरण–पोषण मद में गोसदन अन्तर्गत, गोवंश की मासिक औसत संख्या के आधार पर दिये गये राजकीय अनुदान का प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त, अनिवार्य रुप से आगामी अप्रैल माह में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण उपरान्त समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी जनपद ऊधसिंहनगर को उपलब्ध कराये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

8– आवेदक संस्था – .... गोवंश भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का सदुपयोग, निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण/प्रबन्धन हेतु ही किये जाने के क्रम में कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

9– आवेदक संस्था – .... भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि, शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि, संस्था का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है। इस क्रम में संस्था पूर्ण सहयोग किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

10– आवेदक संस्था – .... भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि, गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/ जिला प्रशासन/ स्थानीय निकाय द्वारा, आवेदक संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित किया जा सकता है। आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आबंटन निरस्त कर, गोवंश/ भू प्रबंधन अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

11– आवेदक संस्था – .... की गौशाला में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, जनपद के जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, सम्बन्धित स्थानीय निकायों (शहरी क्षेत्र में नगर निकाय/ ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत) के माध्यम से गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर के माध्यम से विस्थापित किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

12– आवेदक संस्था – .... अवगत एवं सहमत है कि, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आवेदक संस्था को गोसदन हेतु निर्धारित मानक संख्या के अनुरुप ही गोवंश भरण–पोषण अनुदान अनुमन्य है।

13– आवेदक संस्था – .... अवगत एवं सहमत है कि, जनपद स्तरीय समिति द्वारा आवेदक संस्था को गोवंश भरण–पोषण अनुदान मद में अग्रिम अनुदान अनुमन्य नहीं है। गोसदन की मासिक प्रगति आख्या के आधार पर प्रतिमाह शरणागत गोवंश की औसत संख्या के आलोक में, गोसदन हेतु निर्धारित अधिकतम मासिंक क्षमता की सीमा के भीतर ही गोवंश भरण–पोषण मद में अनुदान अनुमन्य है। माह मार्च में शरणागत गोवंश हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में ही भरण–पोषण अनुदान अनुमन्य है।

14— आवेदक संस्था — .... भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि, संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध अवस्था में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/ प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

15— आवेदक संस्था — .... भली प्रकार विदित, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है कि, शासन के निर्देशानुसार, गोवंश की भली प्रकार देख रेख एवं नियमित रुप से जॉच को अभिलेखबद्ध कर लिये जाने हेतु संस्था द्वारा सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाये जायेंगे।